**संख्या- 22/2022/I/**254157**/2022 /38-2002(002)/7/2022**

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-2** **लखनऊ : दिनांक 28 दिसम्बर, 2022**

विषयः- दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत 14-मोटर गाड़ियों के क्रय में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-386/वा0-9/वाहन क्रय/2015-16, दिनांक 10 अक्टूबर, 2022, पत्रांक-439/वा0-9/वाहन क्रय/2015-16, दिनांक 09 नवम्बर, 2022 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम्य विकास विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम्य विकास-07-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के अन्तर्गत मानक मद 14-मोटर गोड़ियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 15.00 लाख के सापेक्ष प्रतिस्थापन के आधार पर 01 Honda City ZX CVT-Petrol BSVI, 05 सीटर वाहन महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के उपयोगार्थ क्रय हेतु धनराशि रू0 13,38,840/- (रूपये तेरह लाख अड़तीस हजार आठ सौ चालीस मात्र) की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त वाहन क्रय हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के वाहन क्रय संबंधी शासनादेशों तथा परिवहन विभाग द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये जेम पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में किया जायेगा, किसी भी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित जायेगा।

(6) प्रश्नगत क्रय हेतु वाहन की गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(7) उक्त वाहन का क्रय किसी अन्य योजना से न किया गया हो अर्थात् क्रय की कार्यवाही की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।

(8) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा उक्त शासनादेश में दिये गये अन्य दिशानिर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम्य विकास विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम्य विकास-07-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के अन्तर्गत मानक मद 14-मोटर गोड़ियों का क्रय के अन्तर्गत सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-2-101/दस-2022-23, दिनांक 25 नवम्बर 2022 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा हैं।

भवदीय,

राजीव कुमार वत्स

उप सचिव,

संख्या-**22/2022/I/**254157/2022 /38-2002(002)/7/2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- श्री हरीराम, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-ययक) अनु0-1/2
7- ग्राम्य विकास अनु0-3
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

राजीव कुमार वत्स

उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in